प्रधानमंत्री उज्जवला योजना : दक्षिण राजस्थान में ग्रामीण आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण एवं उनमें बदलाव

सुरेश व्यास[1]

सारांश

भारतीय संविधान महिलाओं को समानता का दर्जा प्रदान करता है और राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाया गया है और महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला उत्थान को प्रमुख मुद्दे के रूप में रेखांकित किया गया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम एवं नीतियाँ बनायी गयी है। परन्तु इनका वास्तविक लाभ अभी तक महिलाओं को प्राप्त नहीं हो सका है। विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति आज भी निम्न स्तर की बनी हुई है। महिलाओं के समुचित विकास के बिना उनका सशक्तिकरण असंभव है। दक्षिण राजस्थान में निवास करने वाली अधिकांश आबादी जनजाति समाज बाहुल्य है और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति काफी खराब है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल करने से ग्रामीण महिलाओं को बड़ा फायदा हुआ है। इससे न केवल उनके एवं परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है बल्कि रसोई में लगने वाले समय की भी बचत हुई है जिससे वे अपना समय आर्थिक उत्पादक कार्यों में लगाकर अपनी आजीविका बेहतर कर रही हैं। प्रस्तुत शोध–पत्र दक्षिण राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की दिशा में उज्जवला योजना की भूमिका का विश्लेषण करते हुए इस योजना का उन पर पड़े प्रभावों का अध्ययन करना है।

कुंजी शब्दः महिला सशक्तिकरण, आदिवासी महिलाएं, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, दक्षिण राजस्थान।

[1] प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगला, पं. स. झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

अध्ययन परिचयः

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सम्पूर्ण विश्व के विभिन्न नारीवादी आंदोलनों विशेषकर तृतीय विश्व के देशों के नारीवादी लेखकों के बीच हुए विभिन्न आलोचनात्मक संवादों एवं वाद–विवादों का परिणाम है। विगत कुछ वर्षों से भारत में अनेक मंचों से यह प्रश्न उठा कि पिछले छः दशकों से देश में लोकतंत्र की अनेकानेक उपलब्धियों के बावजूद आधी आबादी को जो दर्जा मिलना चाहिए था, वह उससे वंचित है। महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य उन्हें अधिक शक्ति और अधिकार दिया जाना है जिससे उनमें चेतना और क्षमता का विकास किया जा सके ताकि सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वे अपनी सक्रिय सहभागिता निभा सके।

महिला सशक्तिकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ 'समान और न्यायपूर्ण समाज के तहत शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने और बेहतर स्वास्थ्य के साथ महिलाओं को पूर्ण रूप से सशक्त बनाना है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र, शिक्षित और प्रगतिशील बनाने के लिए एवं एक समान सामाजिक स्थिति का आनंद लेने की प्रक्रिया है।

सदियों से महिलाएँ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुरूषों के समकक्ष दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत है। उनको पुरूषों की अपेक्षा कमतर आंका जाता है जिससे उनके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ–साथ उनकी वृद्धि में भी बाधा उत्पन्न होती है। अविकसित और विकासशील राष्ट्रों में कुछ अपवादों को छोड़कर उनकी स्थिति सबसे खराब है। यह स्थिति सतत विकास और लैंगिक समानता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा है।

महिला सशक्तिकरण का मूल सिद्धांत है कि महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, वित्तीय सुरक्षा, न्यायिक शक्ति और वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो पुरूषों को प्राप्त हैं। अर्थात् लिंग आधारित पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।

सशक्तिकरण एक बहुमुखी, बहु–आयामी और बहु–स्तरीय अवधारणा है। इस प्रक्रिया में उन विचारों और धारणाओं को शामिल किया जाता है जो व्यक्तिगत मान्यताओं, मूल्यों और मनोवृत्तियों को बनाते हैं जो निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं, संसाधनों तक पहुंच एवं नियंत्रण को बढ़ाने का कार्य करते हैं।एक अवधारणा के रूप में महिला सशक्तिकरण को सामाजिक और आर्थिक शक्तियों के पुर्नवितरण और महिलाओं के पक्ष में संसाधनों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया गया है।

महिलाएं विश्व जनसंख्या का लगभग आधा भाग है और विकास प्रक्रिया की प्रमुख हित धारक है। अतः यह आवश्यक है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी

सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण किया जाए ताकि समाज के विकास के लिए उनकी क्षमताओं का पूरा उपयोग हो।

विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानता महिलाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय मुख्य धारा में उनके एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं और सामाजिक न्याय का मौलिक प्रश्न उठाती है। अतः महिलाओं का सशक्तिकरण राष्ट्र की प्रथम आवश्यकता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयासः

भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वतंत्रता के पश्चात् अनेक सरकारी प्रयास किए गए ताकि उनके सामाजिक–आर्थिक जीवन को ऊपर उठाया जा सके। इसके लिए सरकार ने अनेक कानून और विभिन्न योजनाओं का सूत्रपात किया और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने का भी प्रयास किया परन्तु ये प्रयास पूर्णतः सफल नहीं हो सके। भारत में महिलाओं की स्थिति वर्तमान में भी कुछ अपवादों को छोड़कर निम्न स्तर की बनी हुई है जिसके पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक विद्यमान हैं और उन्हें दूर किया जाना अतिआवश्यक है ताकि वे अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन के जो प्रयास किये गये उनका वास्तविक लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच सका जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और तेज करने की आवश्यकता है ताकि महिलाओं के बीच विद्यमान आधारभूत असमानता को खत्म किया जा सके।

भारत के विभिन्न राज्यों में महिलाओं की स्थिति में काफी भिन्नता है। विशेष रूप से गरीब, तिरस्कृत, दलित, आदिवासी एवं विकास की प्रक्रिया में किनारे की गई महिलाओं की स्थिति लगभग सभी राज्यों में एक जैसी दिखती है। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तत्काल रचनात्मक एवं ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि मात्र कल्याणकारी उपायों द्वारा महिलाओं का विकास संभव नहीं है।

भारतीय संविधान कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता की गारंटी प्रदान करता है परन्तु वास्तविकता में सैंकड़ों वर्षों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के दबाव में महिलाएं अभी भी पिछड़ा जीवन जी रही है और अपने संविधान प्राप्त अधिकार प्राप्त करने में सफल नहीं हुई है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजनाः ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

वर्तमान में दुनिया की लगभग 38 प्रतिशत जनसंख्या खाना बनाने की लिए परम्परागत ईंधन का उपयोग करती है। भारत में घर संभालने और खाना बनाने में मुख्य भूमिका महिलाओं की ही होती है इसलिए घर के अंदर परम्परागत जैविक ईंधन से खाना बनाने से प्रदूषण उत्पन्न होता है जिसका परिवार के प्रत्येक सदस्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जैव ईंधन आधारित चूल्हों के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है और इससे आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी प्रभावित होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 12.1 करोड़ परिवार अब भी परम्परागत चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें अधिकतर परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित सतत विकास के सात लक्ष्यों के अंतर्गत वर्ष 2030 तक सभी परिवारों को किफायती विश्वसनीय सतत और आधुनिक ईंधन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें सभी लोगों को वाजिब दाम पर स्वच्छ और पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके प्रमुख घटक निम्न हैंः

- वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा के हिस्से में वृद्धि।
- ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर दुगुनी करना।
- सभी को स्वच्छ ऊर्जा देने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना।
- उन्नत तथा अधिक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा संबंधी ढांचे तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ाना।

भारत में खाना पकाने और अन्य पारिवारिक कार्यों को संपन्न करने के लिए गैस का उपयोग कई दशकों से हो रहा है। यह अन्य ईंधनों की तुलना में स्वच्छ ईंधन माना जाता है। देश में अन्य ईंधन के रूप में कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल आदि का उपयोग किया जाता है। गैस ईंधन के रूप में सबसे प्रभावी माध्यम है जिसमें ऊर्जा का सीधा और तत्काल प्रभाव मिल जाता है। कोयला, मिट्टी का तेल, लकड़ी आदि ईंधनों के उपयोग की तुलना में गैस का उपयोग काफी सरल माना जाता है और इससे लकड़ी और कोयले आदि की अपेक्षा पर्यावरण प्रदूषण के साथ–साथ मानवीय स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ता है। इसमें समय की भी काफी बचत होती है जिससे महिलाएं घरेलू कार्यों के अतिरिक्त अन्य उत्पादक एवं आर्थिक गतिविधियों को भी संचालित करके आत्मनिर्भर बन सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार उचित कदम देश की गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र की ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1 मई, 2016 को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) की शुरूआत की गई। इस योजना की शुरूआत एक सामाजिक आंदोलन के रूप में की गई है। बेहतर माध्यम व मानवीय स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होने के कारन भारत सरकार द्वारा इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई है जिसके लक्ष्य के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। यह उल्लेखनीय है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या जलाऊ लकड़ी और अन्य वन्य उत्पाद को जलाने एवं खाना पकाने के लिए व्यापक रूप में उपयोग में लेते हैं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं है। इस तरह यह पहली योजना है जिसमें करोड़ों गरीब परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे सामाजिक परिवर्तन होगा और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उन्हें खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन की प्राप्ति भी होगी।

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो परिवार बीपीएल केटेगरी में आते हैं। उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत कुल 8 करोड़ कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उज्जवला योजना के तहत केन्द्र सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 1600 रूपये का खर्च वहन करती है जबकि प्रत्येक नए एलपीजी कनेक्शन पर 3200 रूपये का खर्च आता है।

इस योजना से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। इससे समय की बचत के साथ उनके स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा है। योजना के अन्तर्गत एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। इस योजना को सफल बनाने में जन–धन योजना ने भी काफी योगदान दिया है।

योजना के लाभः

- शुद्ध ईंधन के प्रयोग से महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ।

- वातावरण में प्रदूषण की कमी।
- बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार।
- अशुद्ध वायु और धुंए से मुक्ति।

इस योजना की शुरूआत से घरों के पारंपरिक चूल्हे से निकलने वाले धुंए से महिलाओं को निजात मिल गई है क्योंकि यह धुंआ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अति घातक है। साथ ही इससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी काफी सहायता मिली है। वर्तमान में इस योजनान्तर्गत 6 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है। इसमें सामाजिक उत्थान और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिला है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार परंपरागत चूल्हा जलाने से महिलाएं जितना धुंआ सांस के माध्यम से अंदर लेती हैं, वह एक घंटे में 400 सिगरेट जलने के बराबर होता है। देश में गोबर से बने उपले एवं लकड़ी से निकलने वाले धुएं से बच्चों में न्यूमेनिया और महिलाओं में फेंफड़े एवं हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं।

इस योजना से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव किया है। इससे समय की बचत के साथ उनके स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा है। योजना के अन्तर्गत एलपीजी कनेक्शन पाने के लिए लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। इस योजना को सफल बनाने में जन–धन योजना ने भी काफी योगदान दिया है।

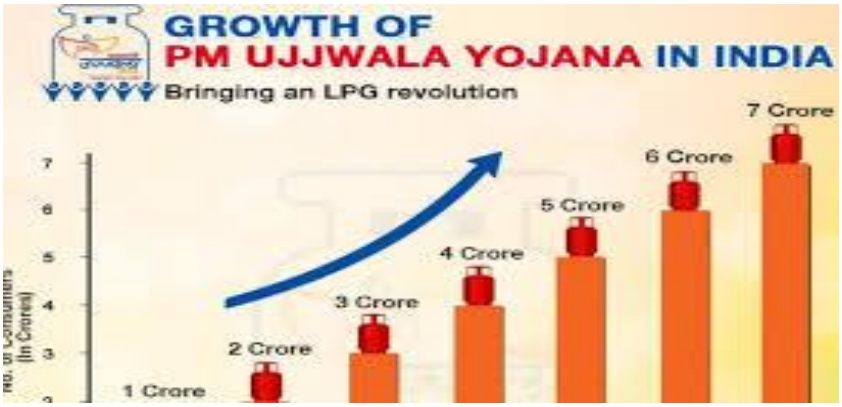

महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बेहतरीन परियोजना है परंतु इसके कुछ दुर्बल पक्ष भी हैं। इस योजनान्तर्गत पिछले दो वर्षों में 3 करोड़ लोगों को जोड़ा गया, क्या अगले एक वर्ष में 5 करोड़ अतिरिक्त बीपीएल परिवारों को इससे जोड़ना आसान होगा। इसके साथ ही जिन तीन करोड़ लोगों को कनेक्शन दिया गया है, वहां वस्तुस्थिति क्या है? यह पता लगाया जाना भी आवश्यक है। क्या उन सभी घरों में गैस के द्वारा ही खाना बन रहा है या खर्च बचाने के लिए अभी भी वे चूल्हे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।

दक्षिण राजस्थान में उज्जवला योजना का प्रभावः

दक्षिण राजस्थान की अधिकांश जनसंख्या का संबंध आदिवासी समुदाय से है। दक्षिणी राजस्थान, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है जहां जनजाति समाज का बाहुल्य है और ये जनजातियां प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती हैं। दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत मुख्यतः पांच जिले आते हैं। इनमें उदयपुर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और डुंगरपुर प्रमुख हैं। इन जिलों में मुख्य रूप से भील मीणा गरासिया और डामोर जैसी जनजातियां निवास करती हैं। इन जनजाति समाज की ज्यादातर जनसंख्या जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती हैं। अतः इन क्षेत्रों में विकास के कार्य अपेक्षाकृत रूप से कम हुए हैं जिससे इन क्षेत्रों को पिछड़ा हुआ माना जाता है और यहां के लोग अपनी आजीविका के लिए दैनिक मजदूरी पर निर्भर है।

यहां पर महिलाओं की स्थिति भी काफी दयनीय और निम्न है। चूकि दक्षिणी राजस्थान में अधिकांश आदिवासी महिलाएं आज भी पारंपरिक रूप से जंगल से सूखी लकड़ियां एकत्रित कर चूल्हे पर अपना खाना तैयार करती हैं जिससे उन्हें अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत आदिवासी समाज की गरीब महिलाओं को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल एलपीजी ईंधन उपलब्ध करने से घरों में धूएं से उठने वाला प्रदूषण कम हो गया है और पर्यावरण को भी इससे काफी फायदा पहुंचा है।

जनजातीय क्षेत्रों में इस योजना की वर्तमान प्रगति देखें तो पता चलता है कि अभी भी सुदूर देहाती क्षेत्रों में रसोई से धुआं दूर नहीं हुआ है। इस योजना के माध्यम से दक्षिण राजस्थान के चार जिलों यथा उदयपुर चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ बांसवाड़ा और डुंगरपुर में लगभग 8 लाख कनेक्शन हुए हैं और पहली बार इन देहाती क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडर भी पहुंचा है। लेकिन अत्यधिक गरीबी और आय के कम स्रोत होने के कारण गैस खत्म होने के बाद उसे फिर से रिफिलिंग नहीं कराया गया है। परिणामस्वरुप आज भी इन क्षेत्रों की आदिवासी महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाने को विवश हैं। सामान्यतः सुबह शाम

खाना बनाने दूध गरम करने चाय बनाने समेत सभी कार्यों के लिए लकड़ी के ईंधन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है।

उज्ज्वला योजना को ऐसे समय में लागू किया गया था जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतें काफी कम थीं। परन्तु अगर भविष्य में अगर इन कीमतों में वृद्धि होती है तो संभवतः बीपीएल परिवारों के लिए इसका उपयोग करना मुश्किल हो सकता है और वे पारंपरिक ईंधन की ओर अग्रसर हो सकतें हैं। अतः सरकार को इसकी रोकथाम के लिए सब्सिडी की अधिक राशि अपने बजट में निर्धारित करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत एक अच्छा वैकल्पिक स्रोत बन सकता है जो एलपीजी की अपेक्षा सस्ता है। अतः सरकार को दूर–दराज के क्षेत्रों में सौर पैनलों को लगाने में सहायता करनी चाहिए।

इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं का काफी समय बचाया है क्योंकि खाना पकाने में अब पहले की तुलना में काफी कम समय लगता है। अतः सरकार को इस बचे हुए समय के उपयोग के लिए नीति बनानी चाहिए कि इन महिलाओं की घरेलू आय में वृद्धि हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:

- राजनाथ राम और शफकत मुबारक. (2018). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाः बदली ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी. कुरुक्षेत्र, जनवरी, पेज 24–26.
- .....दी फ्लेम ऑफ़ होपः पीएम उज्ज्वला योजना. (2019). न्यू दिल्लीः टाइम्स ग्रुप.
- अश्विनी दड़गड़े, अशोक श्रीनिवास और एन. जोसी. (2018). व्हाट हेज दी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अचिवड सो फार? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 53, न. 20, 19 मई.
- एन. अहमद, श्लाघ्या शर्मा एंड अंजनी के. सिंह. (2018). प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनारू स्टेप टुवड्र्स सोशल इन्क्लूजन इन इंडिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ट्रेंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वॉल्यूम 5, न.01, जन.–फर.
- अशोक, बी. (2022). इज दी पीएम उज्ज्वला योजना फुलफिलिंग इट्स ट्रू पोटेंशिअल एज अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम एनर्जी वर्ल्ड, जून, 24.
- टी. अमोज एंड एन. श्रीदेवी. (2017). एन इकोनॉमिक असेसमेंट टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनारू स्कीम ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ करेंट रिसर्च, वॉल्यूम 09, इश्यू 11, नव.

- राहुल कुमार मिश्रा. (2021). इम्पैक्ट ऑफ़ उज्ज्वला योजना ऑन रूरल वूमेंस लाइफ. जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड एंड स्कोलरली रिसर्चेस इन इलिड एजुकेशन, जून.

- यदुवीर, यादव. (2020). वीमेन एम्पावरमेंटः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्कीम इन इंडियाः अ स्टडी ऑन रूरल हाउसहोल्ड्स इन सेलेक्टेड रीजन. ऑस्ट्रेलियन जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट, जुलाई.

- एस. अग्रवाल, एस. कुमार एंड एम. के. तिवारी. (2018). डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. एनर्जी पॉलिसी, वॉल्यूम 118, पेज 455–461.

- एम. बंसल, आर. पी. सैनी एंड डी. के. खतोड़. (2013). डेवलपमेंट ऑफ़ दी कुकिंग सेक्टर इन रूरल एरियाज इन इंडिया. रिन्यूवेबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी रिव्यूज, वॉल्यूम 17, पेज 44–53.